

लोक सुनवाई का वृत्त

मेसर्स शीतल प्रसाद कन्सल्टिंग प्रा० लि० (श्री सुखदेव यादव) द्वारा गया जिला के अंचल-टेकारी, गया मोरहर-20 बालू घाट, ग्राम- नेपा और खनेतु, मोरहर नदी का क्षेत्रफल-76.50 हेक्टेयर बालू खनन करने हेतु पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के तहत दिनांक-01.10.2020 को पूर्वाह्न 11.00 बजे प्रखण्ड कार्यालय, टेकारी, जिला-गया के सभागार में लोक सुनवाई आयोजित किया गया।

यह लोक सुनवाई पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के तहत राज्य पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, बिहार द्वारा निर्गत टी०ओ०आर०. (पर्यावरण विचारों) पत्र संख्या- SIA/1(a)/1042/2020, दिनांक-21.07.2020 के आलोक में श्री सुमन कुमार, उप-विकास आयुक्त, गया की अध्यक्षता में की गयी।
उपस्थिति पंजी संलग्न (अनुलग्नक-1)

उक्त लोक सुनवाई की सूचना बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्सद द्वारा दैनिक समाचार पत्रों- यथा हिन्दुस्तान, प्रभात खबर, हिन्दुस्तान टाइम्स एवं टाइम्स ऑफ इंडिया के माध्यम से दिनांक-28.08.2020 द्वारा प्रकाशित की गयी है (प्रतिलिपि संलग्न)। लोक सुनवाई के दौरान श्री एस. एन. झा, सहायक पर्यावरण अभियंता, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्सद, गया द्वारा लोक सुनवाई में उपस्थित व्यक्तियों एवं सभी सम्बन्धित पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के तहत इकाई के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई की पृष्ठ-भूमि पर प्रकाश डाला गया।

इस परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार ई. नीतिश कुमार द्वारा बताया गया कि खनन परियोजना अर्ध यांत्रिक (semi mechanized) आधारित है अतः ढुलाई के लिए मशीनों का उपयोग किया जाना अनुमोदित है। खनन प्रक्रिया केवल 3 मीटर तक की गहराई या भू-गर्भीय जल सतह के उपर तक ही सीमित रहेगा। इस प्रकार भू-गर्भीय जल का खतरा शून्य रहता है। किसी प्रकार की विस्फोटक की आवश्यकता नहीं है। परियोजना का कुल लागत का 2 प्रतिशत कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व मद में रखा गया है जो बिहार सरकार द्वारा अनुमान्य है। परियोजना में कुल 36 कामगारों की आवश्यकता होगी जिनकी भर्ती के लिए स्थानीय निवासियों को वरीयता दी जायेगी। खनन कार्य रात्रि में पूर्ण रूप से बंद रहेगा। बालू ढुलाई के लिए वाहनों का संचालन राष्ट्रीय राजमार्ग जो कि खादानों से अस्थायी मार्गों द्वारा जुड़ा है। इन मार्गों का रख-रखाव भी परियोजना प्रस्ताव सुरक्षित करेंगे। खनन कार्य पूर्ण रूप से अनुमोदित खनन योजना के अनुसार किया जायेगा। ध्वनि प्रदूषण के मानकों को अनुरूप बनाये रखने के लिए ग्रामीण इलाकों तथा खनन क्षेत्र के मध्य सघन छत्र वाले पौधों का रोपण किया जायेगा। रात्रि में हॉर्न का प्रयोग न्यूनतम स्तर पर किया जायेगा।

खनन कार्य एवं खनिज परिवहन में धूल-कणों का उत्सर्जन होता है जिसके नियंत्रण के लिए तीन बार जल का छिड़काव किया जायेगा तथा खनिज का परिवहन तिरपाल से ढक कर ही वाहनों का संचालन किया जायेगा। खनन क्षेत्र में उन्हीं वाहनों को प्रवेश मिलेगा जो पूरी तरह प्रदूषण मुक्त होंगे अर्थात् पी.यू. सी. प्रमाणित होंगे। सड़क मार्गों की मरम्मत नियमित रूप की जायेगी तथा कोई भी अस्थायी मार्ग बनाने के लिए ग्रामीणों व किसान भाईयों की सहमति से ही होगा। सड़क मार्गों पर वाहनों गति-सीमा पूर्व निर्धारित रहेगी जिसका उल्लंघन करने वाहन चालकों व वाहन का रिकॉर्ड रखा जायेगा व ऐसे वाहनों का खनन क्षेत्र में प्रवेश वर्जित रहेगा। खनन परियोजना के क्रियान्वयन के समय सभी संवेदनशील स्थानों पर जैसे मार्गों



खनन क्षेत्र इत्यादि पर चेतावनी/सावधानी सूचना पट्ट लगायी जायेगे तथा इनपर आकस्मिक आपदा की स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक सेवाओं के मोबाईल नम्बर उल्लेखित होंगे।

अध्यक्ष महोदय द्वारा अवगत कराया गया कि जिला गया में पर्यावरणीय स्वीकृति मिलने के बाद बालू खनन का कार्य प्रारंभ होगा। प्रत्येक नियमावली का अनुपालन किया जायेगा तथा अनुपालन न करने पर जुर्माना किया जायेगा। धूल-कण कम करने के लिए इसकी व्यवस्था सुचारु रूप से कराया जायेगा। बालू की ढुलाई में लगे वाहनों को तिरपाल से ढककर ही आवागमन किया जायेगा। स्थानीय लोग बेहतर जानते हैं, वे अपनी बात रखें। इस कार्य में स्थानीय जनता का सहयोग/सुझाव/मंतव्य आवश्यक है।

परियोजना प्रस्तुतिकरण के पश्चात् उपस्थित महानुभावों द्वारा दिए गए सुझाव/मंतव्य इस प्रकार हैं:-

1. श्री दिलीप कुमार, पिता-स्व० हरिद्वार सिंह, ग्राम-मखदुमपुर, जिला-गया द्वारा सुझाव दिया गया कि पुराने वाहनों से बहुत प्रदूषण होता है। मेरा अनुरोध है कि पुराने वाहनों का उपयोग बालू ढुलाई में न किया जाय।
2. श्री चैतानन्द भारती, पिता-स्व० बनवारी दास, ग्राम-वैधविगहा, टेकारी, जिला-गया द्वारा सुझाव दिया गया कि स्थानीय लोगों को ही रोजगार के लिए प्राथमिकता दी जाय।
3. श्री मनोज कुमार भारती, पिता-श्री मुन्नी लाल दास, ग्राम-वैधविगहा, पंचायत-बेलहड़िया, जिला-गया द्वारा पूछा गया कि धूल-कण की समस्या से निपटने के लिए क्या व्यवस्था है।

उत्तर- पर्यावरणीय सलाहकार ने बताया कि धूलकण को रोकने के लिए बालू ढूलाई वाले रास्तों पर दिन में तीन बार जल छिड़काव किया जायेगा तथा बालू लदे वाहनों को तिरपाल से ढककर ले जाया जायेगा।

4. श्री अभिमन्यु कुमार, पिता-श्री अनिल कुमार, ग्राम-पंचानपुर, टेकारी, जिला-गया द्वारा पूछा गया कि नदी से कितना जमीन छोड़कर बालू उत्खनन की जायेगी तथा परियोजना में काम करने वाले कामगारों की बीमा की कोई व्यवस्था है या नहीं।

उत्तर- पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि नदी तट से दोनों किनारा से 5 मीटर छोड़कर बालू का उठाव किया जायेगा।

सहायक पर्यावरण अभियंता द्वारा बताया गया कि कामगारों की बीमा केन्द्रीय कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा कराया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय द्वारा सलाह दिया गया कि सभी श्रमिक को श्रम विभाग में निबंधन करा लें। इससे श्रमिकों को बहुत प्रकार के लाभ मिलता है।

5. श्री शालीग्राम यादव, पिता-गुड्डु यादव, ग्राम-आमाकुआँ, टोला-इजमाईल बलवापर, जिला-गया द्वारा पूछा गया कि बालू खनन कितनी गहराई तक किया जायेगा।


उत्तर- पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि बालू खनन की गहराई 3 मीटर तक ही होगा।

HL


क्षेत्रीय पदाधिकारी, बि0रा0प्र0नि0 पर्षद द्वारा बताया गया कि बालू ढूलाई का रास्ता (सड़क) गाँव या आबादी से होकर नहीं जाना चाहिए नहीं तो आम जनता को काफी दिक्कत होता है। साथ-ही-साथ वैकल्पिक सड़क का भी पहचान किया जाना चाहिए ताकि वाहनों की संख्या एवं परिवहन भार पर नियंत्रण रखा जा सके। अगर इस परियोजना क्षेत्र में पूर्व में भी खनन हुआ है तो Sand Reserve का ब्योरा Final EIA में उपलब्ध कराया जाए। उनके द्वारा पूछा गया कि पट्टाधारक द्वारा कितना प्रतिशत नदी का खनन क्षेत्र का हिस्सा में खनन नहीं किया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय द्वारा बताया गया कि बालू उत्खनन का कार्य वैज्ञानिक तरीके से करायी जायेगी। ट्रक से बालू ले जाते समय सड़क पर जल छिड़काव करेंगे एवं बालू तिरपाल से ढक कर ले जायेंगे। उन्होंने उम्मीद जतायी कि पट्टाधारक द्वारा इन बातों का ध्यान रखा जायेगा, साथ ही वैज्ञानिक तरीके से बालू खनन का कार्य करने एवं विभागीय निदेश का अनुपालन करने का सुझाव दिया गया। साथ ही खनन क्षेत्र में वृक्षारोपण एवं इसका देख रेख पट्टाधारी द्वारा किया जायेगा। खनन नियमावली का उल्लंघन पाये जाने पर लीज धारक के विरुद्ध विधिसंगत कार्रवाई की जायेगी।

अध्यक्ष द्वारा लोक सुनवाई के अंत में उपस्थित जनता द्वारा सर्वसम्मति से बालू घाट के खनन परियोजना को शीघ्र प्रारंभ करने के लिए सक्षम प्राधिकार को अनुशंसा करने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात लोक सुनवाई सधन्यवाद समाप्त करने की घोषणा की गयी।


1-10-20

सहायक पर्यावरण अभियंता
बि0.रा0.प्र0.नि0.पर्षद, गया।


1/10/20

उप-विकास आयुक्त
गया

